सं0-18/2016/1710/62-2-2015-2/3(03)/2014

प्रेषक,

डा0 प्रभात कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 14 मार्च,2016

विषय- श्री जगदीश सिंह, अवर अभियंता की पत्नी श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह के उपचार हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-4650/स्था0-3(टी0सी0)/2015-16, दिनांक 28.04.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा अनुभाग-6, उ0 प्र0 शासन के उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिवर्या) नियमावली,2011 एवं अधिसूचना सं0-474/5-6-14-1082/87-टीसी, दिनांक 04.03.2014 द्वारा निर्गत उ0 प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली,2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री जगदीश सिंह, अवर अभियंता की पत्नी श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह की प्रदेश के बाहर **राजीव गांधी कैन्सर इन्स्टीटयूट एण्ड रिसर्च सेन्टर नई दिल्ली** में दिनांक 19.12.2013 से 10.9.2014 तक अन्त: रोगी के रूप में कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति एवं उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष अनुमन्य धनराशि `-8,15,839.00 लाख (`-आठ लाख पन्द्रह हजार आठ सौ उन्तालिस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नही किया गया है। उक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0-1370/62-2-2014-2/3(03)/2014, दिनांक 18.6.2014 द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम की धनराशि के समायोजन हेतु किया जायेगा। व्यय से संबंधित समस्त बिल-बाउचर्स तथा अनिवार्यता प्रमाण पत्र (मूल रूप में) संलग्न है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-49-चिकित्सा व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(डा0 प्रभात कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0-18/2016/1710(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- संबंधित कोषाधिकारी।
3- संबंधित अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड।
4- संबंधित कर्मचारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।